विनियामक और अन्य उपाय

मई 2010

भारिबैं / 2009-10/449 ग्राआऋवि. एसएमइ एंड एनएफएस. बीसी.सं. 79/06.02.31/2009-10 दिनांक 6 मई 2010

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक,सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित)

माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) हेतु ऋण गारंटी योजना की समीक्षा करने के लिए कार्य-दल - एमएसई को संपार्श्विक रहित ऋण

जैसाकि आपको ज्ञात है, माइक्रो और लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) की समीक्षा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक कार्य-दल (अध्यक्ष : श्री वी. के.शर्मा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) गठित किया गया था। कार्य-दल की रिपोर्ट का विमोचन 6 मार्च 2010 को किया गया जो हमारे वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। कार्य-दल ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि -

> ''एमएसई क्षेत्र को संपार्श्विक रहित ऋण सीमा को 5 लाख रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए तथा बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया जाए। उसके बदले बैंक सीजीएस के अंतर्गत संपार्श्विक रहित ऋण सुविधाओं के लिए कवर ले सकते हैं। सीजीएस को बढ़ाने के उद्देश्य से योजना की प्रमुख विशेषताएं तथा लाभों के बारे में व्यापक जागरूकता निर्मित करना आवश्यक है। चूंकि शाखा स्तर के पदाधिकारियों को संपार्श्विक के बदले उधार देने में अभिरुचि होती है, कार्य-दल यह सिफारिश करता है कि बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीइओ) सीजीएस कवर का उपयोग करने हेतु शाखा स्तर के पदाधिकारियों को प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करने

का पूर्ण रूप से स्वामित्व ग्रहण कर लें तथा इसमें उनके फील्ड स्टाफ का मूल्यांकन करने में इससे संबंधित कार्य-निष्पादन को एक मानदंड बनाना शामिल करें।''

उपर्युक्त सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार की गई हैं । तदनुसार, दिनांक 24 अगस्त 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं.16/06.02.31(पी)/2009-10 में आशोधन करते हुए बैंकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को प्रदान 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामलों में संपार्श्विक जमानत स्वीकार न करें।

2. बैंक अपने शाखा स्तर के पदाधिकारियों को सीजीएस कवर का उपयोग करने हेतु प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करें जिसमें उनके फील्ड स्टाफ के मूल्यांकन में इससे संबंधित कार्य-निष्पादन को एक मानदंड बनाना शामिल हो।

3. कृपया आप इस संबंध में अतिसावधानीपूर्वक और कड़े अनुपालन हेतु अपनी शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों को उचित अनुदेश जारी करें।

भारिबैं/2009-10/450गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. 174 /03.10.001/2009-2010 दिनांक 6 मई 2010

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

आवास परियोजनाओं के लिए वित्त - शर्तों में यह उपबंध शामिल करना कि पैम्फलेटों/ ब्रोसरों/ विज्ञापनों में यह प्रकट किया जाएगा कि संबंधित संपत्ति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास बंधक है

माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला आया था जिसमें माननीय न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि आवास / भवन निर्माण के लिए वित्तदाता बैंक परियोजनाओं के संबंध में इस बात पर बल दें कि बड़े पैमाने पर जनता को फ्लैट और संपत्ति के क्रय के लिए आमंत्रित करने के संबंध में डेवलपर/स्वामी द्वारा निकाले जाने वाले ब्रोसरों या पैम्फ्लेटों आदि में प्रश्नगत प्लाट या विकास परियोजना के बारे में यह प्रकटीकरण किया जाए कि अमुक प्लाट या विकास परियोजना पर कोई प्रभार या अन्य देयता निर्मित है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह बात उन शर्तों का अंग होगी जिनके तहत बैंक ऋण स्वीकृत करता है।

2. उल्लिखित परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक समझा गया है कि आवास/विकास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शर्तों में निम्नलिखित को भी विनिर्दिष्ट करें कि:

(i) बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी पैम्फलेटों/ब्रोसरों/ विज्ञापनों, आदि में यह प्रकट करेंगे कि संबंधित संपत्ति किस संस्था/कंपनी (एंटिटी) के पास बंधक है।

(ii) बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी पैम्फ्लेटों/ब्रोसरों में यह उल्लेख करेंगे कि फ्लैटों/संपत्ति की बिक्री के लिए यदि अपेक्षित होगा तो वे उस संस्था/कंपनी (एंटिटी), जिसके पास संपत्ति बंधक है, से अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुमति प्राप्त करके देंगे।

3. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उल्लिखित विनिर्देशनों का अनुपालन सुनिश्चित करें और निधियाँ तब तक जारी न की जाएं जब तक कि बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी उल्लिखित अपेक्षाएं पूरी न कर दें।

भारिबैं /2009-10/461 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल.बीसी.सं. 83/07.40.00/2009-10 दिनांक 12 मई 2010

मुख्य कार्यपालक, सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशा-निर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते

कृपया 18 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. एएमएल.बीसी.सं. 80/07.40.00/2004-05 में संलग्न

'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों तथा धनशोधन निवारक उपायों पर दिशा-निर्देशों का पैरा 3 देखें। बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे विधिक हस्तियों के लिए ग्राहक पहचान प्रक्रिया के आंतरिक दिशानिर्देश बनाएं जो ऐसी हस्तियों के साथ संपर्क से प्राप्त अनुभव, सामान्य बैंकर के विवेक तथा स्थापित प्रथाओं के अनुसार विधिक अपेक्षाओं पर आधारित हों। यदि बैंक ग्राहक स्वीकार्यता नीति के अनुसार ऐसे खातों को स्वीकार करता है तो उसे लाभान्वित स्वामी (स्वामियों) की पहचान करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और उसकी पहचान का इस प्रकार सत्यापन करना चाहिए कि बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि लाभान्वित स्वामी कौन है।

2. स्पष्टता के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते खोलने के लिए ग्राहक की पहचान-प्रक्रिया हेतु मानदंड निर्धारित किए जाएं। तदनुसार, स्वत्वधारी पर लागू ग्राहक पहचान प्रक्रिया संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अलावा बैंक मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से खाते खोलने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज की मांग करें तथा उनका सत्यापन करें:

i. नाम, प्रतिष्ठान के पते तथा गतिविधियों का प्रमाण जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में), दुकान और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस, बिक्री और आयकर रिटर्न, सीएसटी/वीएटी प्रमाणपत्र, बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंडियन मेडिकल कौंसिल, खाद्य और औषधि नियंत्रण प्राधिकारी आदि द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र।

ii. उपर्युक्त में से कोई दो दस्तावेज पर्याप्त होंगे। दस्तावेज मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से होने चाहिए।

3. ये दिशानिर्देश सभी नए ग्राहकों पर लागू होंगे जबकि मौजूदा ग्राहकों के खातों के मामले में उपर्युक्त औपचरिकताएं समयबद्ध रीति से 31 दिसंबर 2010 से पहले पूरी की जानी चाहिए।

4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति-सूचना दें।